उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687	GSTN: 09AACU8823E1Z9

कमरा नं0 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
रैक्स संख्या – 8320

Room No. 320,
IIIrd Floor, Shakti Bhawan,
14-Ashok Marg, Lucknow-226001
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

दिशा निर्देश सं0: 15 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक: 13/03/2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0

मुख्य अभियन्ता (डी0एण्डपी0)/765के0वी0/
सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0टी0/जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

1– डिपोजिट आधार पर तैयार किये जाने वाले प्राक्कलनों में दो बार जी0एस0टी0 चार्ज किये जाने से संबंधित भ्रांति के संबन्ध में।

कृपया मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सेल द्वारा निर्गत जी0एस0टी0 दिशा–निर्देश सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 23/02/2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों पर जी0एस0टी0 के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये थे।

कथित दिशा–निर्देश के पृष्ठ सं0– 02 पर जी0एस0टी0 की गणना से संबंधित उदाहरण दिया गया था। चूंकि कार्य के लिए क्रय किये गये Material, erection एवं overhead पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 निगम को Input Tax Credit (ITC) के रूप में उपलब्ध नहीं रहेगा इसलिये उदाहरण में Cost of Work (Material/Labour/Overhead) के बाद जी0एस0टी0 18% की दर से लगा कर दर्शाया गया है। किन्तु प्राक्कलन बनाते समय प्राक्कलन में इस प्रकार जी0एस0टी0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्राक्कलन बनाते समय प्राक्कलन में 18% जी0एस0टी0 (Charged by Supplier/Contractor) को पृथक प्रविष्टि न दिखाते हुये Cost of Work (Material/Labour/Overhead) में शामिल करते हुए ही प्राक्कलन में दिखाये।

ज्ञात हो अगर Cost of Work (Material/Labour/Overhead) की दर अगर Inclusive of GST है तो उसमें जी0एस0टी0 दोबारा न जोड़े। इसके अतिरिक्त उदाहरण में दर्शायी गयी जी0एस0टी0 दर 18% उदाहरण मात्र है, Cost of Work (Material/Labour/Overhead) में जी0एस0टी0 जोड़ते हुए वस्तु/मद की सकल दर ही जोड़े।

रेस्पो दर के आधार पर प्राक्कलन तैयार करते समय सुनिश्चित कर ले कि रेस्पो दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित है अथवा नहीं। अगर रेस्पो दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है तो उसमें जी0एस0टी0 वस्तु/मद की जी0एस0टी0 की दर के अनुसार जोड़ ले एवं प्राक्कलन में एक ही प्रविष्टी में जी0एस0टी0 जुड़ी हुई दर ही दिखायें।

उपरोक्त अनुसार प्राक्कलन बनाते समय Cost of Works (Material/Labour/Overhead) के अतिरिक्त सुपरविजन चार्ज्स एवं कंटिन्जेंसी चार्ज्स जोड़ते हुए अंतिम राशि पर जी0एस0टी0 @ 18% जोड़ा जायेगा जो कि सरकार को देय होगा।

2– Corrigendum to Circular No. 76/50/2018-GST

जी0एस0टी0 दिशा निर्देश संख्या 13/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 19.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें Income Tax- Tax collected at source (TCS) पर जी0एस0टी0 के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये थे। कथित दिशा निर्देश के पृष्ठ संख्या 03 के बिन्दु संख्या 04 पर Circular No. 76/50/2018-GST दिनांक 31.12.2018

के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे प्रकरण जहां Income Tax- Tax collected at source (TCS) का प्राविधान है वहां Taxable Value में TCS को शामिल कर जी0एस0टी0 चार्ज किया जायेगा।

परन्तु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के F.No. CBEC-20/16/04/2018-GST dated 07 March, 2019 ने Circular No. 76/50/2018-GST से सम्बन्धित शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जहां Income Tax- Tax collected at source (TCS) का प्राविधान है, वहां Taxable Value में TCS को शामिल न करते हुए जी0एस0टी0 चार्ज किया जायेगा।

उदाहरणार्थः—

Particulars	Amount (Rs.)
Scrap Sale Value	100.00
TCS @1%	1.00
Taxable Value	100.00
GST @ 18%	18.00
Total	118.00

/

(ए0के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक

पत्र सं0: 15/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी0/वाणिज्य एवं नियोजन उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।

3– महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

5– उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक

Annexure

डिपोजिट कार्य हेतु जी0एस0टी0 की गणना अब तक निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार की जा रही थी।

Pariticulars	**Amount(Rs.)**
Cost of Work (Material/Erection/Overhead)	1,00,00,000
Add: GST@ 18% (Charged by supplier/contractor)	18,00,000
Total Cost of Work to be paid to supplier/contractor	**1,18,00,000**
Supervision charges (Assumed@15%)	17,70,000
Contingency and other charges (Assumed@10%)	11,80,000
Taxable Value	**1,47,50,000**
Add: GST @18%	26,55,000
Total Amount of deposit works to be charges from the client	**1,74,05,000**

अब इस पत्र के अनुपालन में जी0एस0टी0 की गणना निम्नलिखित अनुसार की जायेगी:-

Pariticulars	**Amount(Rs.)**
Cost of Work (Material/Erection/Overhead)	1,18,00,000
Supervision charges (Assumed@15%)	17,70,000
Contingency and other charges (Assumed@10%)	11,80,000
Taxable Value	**1,47,50,000**
Add: GST @18%	26,55,000
Total Amount of deposit works to be charges from the client	**1,74,05,000**